55

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अपील विड्रो किये
जाने से खारिज
15/11/19

APP-A
Crim-1

[illegible]न अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

भंवर लाल पुत्र छीतराम बनाम रामनारायण पुत्र छीतराम जाति जाट
जाति जाट नि० ग्राम गिरधारीपुरा, नि० गिरधारीपुरा तह०मौजमाबाद

किस्म मुकदमा तह०मौजमाबाद । नम्बर जिला जयपुर सन् 2019 (33)
225 आर-टी-एक्ट 434/

2019/00434 (गिरधारीपुरा)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री दीपक पारीक श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
15.11.19	यह अपील श्री दीपक पारीक एड़वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 11.07.2019, प्रकरण संख्या 72/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। अपील में अपीलांट व रेस्पोडेन्टस के पूरे नाम व पते अंकित नहीं किये गये है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया, जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट की ओर से केवियट प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो न्यायालय की अन्य अपील में सलंग्न है। अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपील को इसी स्तर पर विड्रो कर निस्तारण करना चाहते है इसलिए न्यायालय हाजा से अपील को विड्रो कर, निस्तारण करने के आदेश प्रदान कराने इस्तदुआ की है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील को आगे नहीं चलाये जाने से खारिज किया जाना उचित समझते है। **अतः अपील अपीलांट आगे नहीं चलाने (विड्रो) से अपील खारिज की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	दीपक पारीक एड०

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Mehrada
Date: 2019.11.25 14:20:34 IST
Reason: SelfAttested